[Authorised English Translation]

HARYANA GOVERNMENT

IRRIGATION AND WATER RESOURCES DEPARTMENT

Notification

The 29th November, 2013

No. S.O. 102/H.A. 29/1974/S. 65/2013.— In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) read with Sub-section 2 of Section 65 of the Haryana Canal and Drainage Act, 1974 (29 of 1974) and with reference to the Haryana Government, Public Works Department (Irrigation Branch), Notification No. S.O. 79/H.A. 29/1974/S. 65/2013, dated the 7th December, 2012, the Governoı of Haryana hereby makes following rules to further amend the Haryana Canal and Drainage Rules, 1976, namely:—

1. These rules may be called the Haryana Canal and Drainage (Amendment) Rules, 2013.

2. In the Haryana Canal and Drainage Rules, 1976 (hereinafter called the said rules), in rule 24, in sub-rule (1),—

(a) in the table, for the words "twenty times", wherever occurring, the words "fifteen times" shall be substituted;

(b) for the first proviso the following proviso shall be substituted, namely :—

"Provided that the Divisional Canal Officer may, after taking into consideration the facts of each case, impose lower charges which shall not be less than five times:".

3. In the said rules, in the "Schedule of Water Rules", in Part II, under heading "Other than irrigation purposes", in note 1,—

(i) for the sign "." existing at the end the sign ":" shall be substituted;

(ii) the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided that in case of the Haryana Government Departments and undertakings of the Haryana Government, the surcharge shall be one percent and if the charge is not paid after lapse of one month from the last date of the payment of the bill, the surchage at the rate of 0.1 percent per month on the balance amount shall be levied.".

DR. K.K. KHANDELWAL,
Principal Secretary to Government Haryana,
Irrigation and Water Resources Department.

51731—C.S.—H.G.P., Chd.

हरियाणा सरकार

सिंचाई तथा जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

दिनांक 29 नवम्बर, 2013

संख्या का०आ० 102/ह०अ० 29/1974/धा० 65/2013.—हरियाणा नहर तथा जल निकास अधिनियम, 1974 (1974 का 29) की धारा 65 की उप-धारा (2) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा हरियाणा सरकार, लोक निर्माण विभाग, (सिंचाई शाखा), अधिसूचना संख्या का०आ० 79/ह०अ० 29/1974/धा० 65/2012, दिनांक 7 दिसम्बर, 2012 के प्रति निर्देश से, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा नहर तथा जल निकास नियम, 1976 को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. ये नियम हरियाणा नहर तथा जल निकास (संशोधन) नियम, 2013, कहे जा सकते हैं।

2. हरियाणा नहर तथा जल निकास नियम 1976 (जिसे, इसमें, इसके बाद, उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 24 में, उप-नियम (1) में,—

(क) तालिका में, "बीस गुणा" शब्द जहाँ कहीं भी आएं के स्थान पर, "पन्द्रह गुणा" शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे;

(ख) प्रथम परन्तुक के स्थान पर, निम्नलिखित परन्तुक प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"परन्तु मण्डल नहर अधिकारी प्रत्येक मामले के तथ्यों पर विचार करने के बाद निम्नतर प्रभार अधिरोपित कर सकता है जो पाँच गुणा से कम नहीं होगा"।

3. उक्त नियमों में, "जल दरों की अनुसूची" में, भाग-II में, "सिंचाई प्रयोजनों से भिन्न" शीर्ष के नीचे, टिप्पण 1 में,—

(i) अंत में विद्यमान "। " चिह्न के स्थान पर, ": " चिह्न प्रतिस्थापित किया जायेगा;

(ii) निम्नलिखित परन्तुक रखा जाएगा, अर्थात् :—

"परन्तु हरियाणा के सरकारी विभागों तथा हरियाणा सरकार के उपक्रमों के मामले में अधिभार एक प्रतिशत होगा तथा यदि प्रभार बिल के भुगतान की अन्तिम तिथि से एक मास की समाप्ति के बाद भुगतान नहीं किया जाता है, तो बकाया राशि पर प्रति मास 0.1 प्रतिशत की दर से अधिभार उद्गृहीत किया जाएगा।"।

डॉ० के०के० खण्डेलवाल,
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
सिंचाई तथा जल संसाधन विभाग।